



प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिये पेंशन योजना अर्थात् प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना [Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana (PM-KMY)] के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू किया है।

प्रमुख बटु

- यह योजना स्वैच्छिक और योगदान आधारित है।
- पति और पत्नी इस योजना का लाभ अलग-अलग भी उठा सकते हैं।
- यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

पात्रता

- 18 से 40 आयु वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

नश्चि पेंशन राशि

- 60 साल की आयु के पश्चात् किसानों को प्रतिमाह 3000 रुपए पेंशन देने का प्रावधान है।

अभविता/योगदानकर्त्ता का अंशदान

- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसानों को 55 रुपए से 200 रुपए प्रतिमाह का योगदान देना होगा। उनके द्वारा किये जाने वाले योगदान की धनराशि का निर्धारण योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर किया जाएगा
 - किसान द्वारा जितनी राशि का योगदान किया जाएगा केंद्र सरकार भी उसके बराबर धनराशि का योगदान करेगी।
 - पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का किसान सीधे पेंशन योजना की योगदान राशि के रूप में भुगतान कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि लघु और सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers- SMF) की आय में वृद्धिकरने के लिये, सरकार ने हाल ही में केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना 'प्रधानमंत्री किसान नधि' [Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)] की शुरुआत की है।

पारिवारिक पेंशन: योगदानकर्त्ता की मृत्यु होने पर उसका/उसकी पति/पत्नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

- यदि पति/पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ब्याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
- यदि पति या पत्नी नहीं है तो नामति व्यक्ति को ब्याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
- यदि अवकाश प्राप्त की तारीख के पश्चात् लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन धनराशि का 50 प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

पेंशन कोष का प्रबंधक

- भारतीय जीवन बीमा नगम (Life Insurance Corporation of India-LIC) को पेंशन कोष का फंड प्रबंधक नयुक्त कया गया है । नगम पेंशन भुगतान के लये जवाबदेह होगा ।

योजना से बाहर नकिलना तथा वापसी

- यदलाभार्थी कम-से-कम 5 साल तक नयमति योगदान देते हैं और इसके बाद योजना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थतिमें भारतीय जीवन बीमा नगम (LIC) बैंक की बचत खाता ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहति धनराशिका भुगतान करेगी ।
- यदनयमति भुगतान में वलंब होता है या अल्प समय के लये भुगतान रूक जाता है तो कसान ब्याज के साथ संपूरण पछिले बकाए का भुगतान कर सकते हैं ।

साझा सेवा केंद्र

- इस योजना का पंजीकरण साझा सेवा केंद्रों के ज़रये कया जा रहा है । पंजीयन नःशुल्क है । सरकार साझा सेवा केंद्रों को प्रतपंजीयन 30 रुपए का भुगतान करेगी ।

शकियत नविवरण प्रणाली

- इस योजना के तहत शकियतों के नविवरण हेतु एक शकियत नविवरण व्यवस्था भी बनाई जाएगी जसिमें भारतीय जीवन बीमा नगम, बैंक और सरकार के प्रतनिधि शामिल होंगे ।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-kisan-man-dhan-yojana>

